<u>स्पीड पोस्ट</u>

भारत सरकार

**Government of India**

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

**National Commission for Scheduled Tribes**

**(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)**

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली- 110003

केस नंबर: SG/19/2019/STGUP/SEFCC/RU-I दिनाक: 26.07.2019

सेवा में,

| | |
|---|---|
| ज़िला अधिकारी,<br>ज़िला- मऊ,<br>(उत्तर प्रदेश) | ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,<br>ज़िला- मऊ,<br>(उत्तर प्रदेश) |

विषय: ज़िला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में- श्री सदानन्द गोंड, महामंत्री, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, ज़िला- मऊ, का अभ्यावेदन ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, सुश्री अनुसुईया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 16.07.2019 समय 02.30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति (संलग्न) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

यह अनुरोध है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर भेजने का कष्ट करे ।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि:

श्री सदानन्द गोंड,
महामंत्री, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा,
ग्राम- जगरनाथपुर, पोस्ट- हलधरपुर,
ज़िला- मऊ,
(उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 9453818928)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website)

**Government of India**
**National Commission for Scheduled Tribes**

ज़िला प्रशासन, ज़िला-मऊ द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनाक 16.07.2019 समय 02.30 बजे का कार्यवृत ।

(केस नंबर: SG/19/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

List of participants in the sitting is annexed.

2. श्री सदानन्द गोंड, महामंत्री, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, ग्राम- जगरनाथपुर, पोस्ट- हलधरपुर, ज़िला- मऊ, (उत्तर प्रदेश) ने अभ्यावेदन दिनाक 12.04.2019 के द्वारा आयोग को अवगत कराया कि ज़िला- मऊ के प्रशासन द्वारा तहसील- मधुबन में 19 तथा तहसील- सदर में 20 व्यक्तियों के साक्ष्य होने के बावजूद गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है । आयोग ने प्रकरण में पत्र दिनाक 29.05.2019 द्वारा ज़िला अधिकारी, मऊ से तथ्य तथा आख्या भेजने का अनुरोध किया ।

3. उपरोक्त प्रकरण में दिनाक 16.07.2019 की सिटिंग में ज़िला अधिकारी, मऊ उपस्थित नहीं हुये । ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला- मऊ तथा अभ्यावेदक के प्रतिनिधि सिटिंग में उपस्थित हुये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अभ्यावेदक के प्रतिनिधि से ज़िला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछा । प्रतिनिधि ने बताया कि ज़िला प्रशासन द्वारा अभी भी गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे है । ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला-मऊ, ज़िला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सही सूचना नहीं दे सके, परंतु आयोग को बताया कि प्रकरण में सभी लेखपालों के साथ दिनाक 30.07.2019 को ज़िला अधिकारी द्वारा बैठक की जानी है ।

4. प्रकरण में विस्तृत चर्चा के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न सिफ़ारिशे करते हुए एक मास के अंदर आयोग को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा ।

(1) ज़िला अधिकारी मऊ द्वारा दिनाक 30.07.2019 को आयोजित होने वाली बैठक में दिये गए निर्देशों की प्रति आयोग को उपलब्ध कराये ।

(2) ज़िला अधिकारी मऊ द्वारा ज़िले के सभी लेखपालों एवं तहसीलदारों तथा अन्य संबन्धित अधिकारियों को गोंड अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के प्रकरणो को प्राथमिकथा देने को कहा जाये ।

(3) मधुबन एवं सदर तहसील में गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के जारी करने हेतु लंबित प्रकरणो पर शीघ्र दिशा निर्देश जारी किए जाये ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

**भारत सरकार**
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

ज़िला प्रशासन, ज़िला-मऊ द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में सुश्री अनुसूइया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनाक 16.07.2019 समय 02.30 बजे की प्रतिभागियों की सूची ।

**(Case No. SG/19/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)**

**I** **National Commission for Scheduled Tribes**

1. Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson — In Chair
2. Shri Gaurav Kumar, P. S. to Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Rajeshwar Kumar, Assistant Director
4. Shri R.S. Misra, Senior Investigator

**II** **District Magistrate, Mau**

Nil

**III** **District Social Welfare Officer, Mau**

Shri Uma Shankar Prasad

**IV** **Petitioner**

Shri Kishan Lal Gond,
(Representative of Shri Sadanand Gond)